दिनाक 07.10.2020
प्रेस विज्ञप्ति 07/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः मु0अ0सं0–592/19 धारा 420/409/467/468/471/120बी/201 भादवि एंव 58बी आर0बी0 आई0 एक्ट व 58ए कम्पनी एक्ट, थाना दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर की विवेचना में वांछित 50 हजार रूपयें का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 06.10.2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश की फील्ड इकाई मेरठ को थाना दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 592/19 धारा 420/409/467/468/471/120बी/ 201 भादवि एंव 58बी आर0बी0 आई0एक्ट व 58ए कम्पनी एक्ट में वांछित रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित **अपराधी करणपाल सिंह** को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः

करणपाल सिंह पुत्र केहरी सिंह, निवासी म0नं0– एफ–83, गंगा सागर डिफेन्स कालोनी, थाना गंगानगर, जनपद मेरठ।

गिरफ्तारी का स्थान व समय

दिनांक 06.10.2020, स्थानः–हापुड चुंगी, जनपद गाजियाबाद समयः–22.15 बजें

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय एंव अपर पुलिस महानिदेशक, (कानून व्यवस्था), उ0प्र0 महोदय द्वारा थाना दादरी जनपद, गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 592/19 धारा 420/409/467/468/471/120बी/201 भादवि एंव 58बी आर0बी0आई0एक्ट व 58ए कम्पनी एक्ट जिसकी विवेचना ई0ओ0डब्लू0 मेरठ द्वारा सम्पादित की जा रही हैं, के वांछित चल रहें अभियुक्तों की गिरफ्तारी में सहायोग हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देशो के अनुपालन में श्री कुलदीप नारायण, पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, मेरठ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 06.10.2020 को विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि करणपाल सिंह उपरोक्त, जिस पर रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित है तथा जो थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत धोखाधड़ी व जालसाजी की सनसनीखेज घटना में वांछित है, एवं जिसके विरूद्व धोखाधडी, जालसाजी के 56 अभियोग थाना दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत है, वह किसी से मिलने के लिए हापुड चुंगी, गाजियाबाद पर आने वाला हैं। इस सूचना को विकसित करते हुए उ0नि0 श्री अरूण कुमार निगम व श्री संजय सौलंकी के नेतृत्व में हे0कां0 वीर बोस, हे0कां0 संजय सिंह, हे0कां0 रवि वत्स, कान्स0 दीपक कुमार, कान्स0 विकास चौधरी एंव कान्स0 जानसन एस0टी0एफ0 मेरठ टीम का गठन कर ई0ओ0डब्लू0 के निरीक्षक श्री के0पी0 शर्मा को सूचना से अवगत कराते हुए हापुड चुंगी, गाजियाबाद पर मिलने को कहा गया। कुछ देर

गोविन्दपुरम की तरफ से एक आटो रैड लाईट पर आकर रूका, जिसमें से सफेद कुर्ता पजामा पहने एक व्यक्ति उतरा, जिसे मुखबिरखास ने दूर से इशारा कर बताया कि यही वह व्यक्ति करणपाल हैं, जो धोखाधडी के कई मुकदमों में वांछित चल रहा हैं तथा जिस पर 50 हजार रूपयें का ईनाम घोषित हैं। इस पर एसटीएफ एंव ई0ओ0डब्लू टीम ने मुखबिर द्वारा बताये गये व्यक्ति को आवश्यक बल प्रयोग करते हुए समय करीब 22.15 बजें घेराबन्दी कर पकड़ लिया।

पूछताछ में अभियुक्त करणपाल सिंह ने बताया कि वह भारतीय सेना की 6 जाट रेजिमैन्ट बरेली से वर्ष 2009 में रिटायर हुआ था तथा रिटायर होने के पश्चात वर्ष 2013—2014 में देहरादून में सिक्योर लाईफ इन्वेस्टमैन्ट नामक कम्पनी में कार्य किया एंव लोगों से पैसों का इन्वेस्टमैन्ट कराया। इसके बाद वर्ष 2016—17 में संजय भाटी निवासी ग्राम चित्ती के सम्पर्क आया, जो गर्वित इनोवेटिड प्रा0लि0 (जी0आई0पी0एल0) कम्पनी नोएडा का मालिक था और लोगों से बाईक के नाम पर इन्वेस्टमैन्ट करवाता था। मैंने संजय भाटी के साथ मिलकर बहुत से लोगों को इस कम्पनी के साथ जोड़ा और बाईक के नाम पर इन्वेस्टमेन्ट कराया। कम्पनी द्वारा 62100/—रूपयें प्रति बाईक इन्वेस्ट करवाया जाता था और इसके एवज में इन्वेस्टर को एक वर्ष तक 9800/— रूपये प्रतिमाह देने का वादा किया जाता था। इस प्रकार एक वर्ष में लगभग दो गुने मुनाफे का लालच देकर लोगों को फंसाया जाता था तथा यदि एक व्यक्ति द्वारा तीन बाईक लगाये जाने पर एक्स्ट्रा बोनस देने का भी लालच दिया जाता था। इस प्रकार हम लोगों ने कई सौ लोगों को इस कम्पनी के साथ जोड़ कर उनके साथ धोखा कर लगभग 4200 करोड़ रूपयें का घोटाला किया। इस काम में हमारे साथ और भी बहुत लोग जुड़े हुए थे। वर्ष 2018 में मुझे संजय भाटी द्वारा उक्त कम्पनी का डायरेक्टर बनाकर साईनिंग अथारिटी दे दी गयी तथा सारे भुगतान मेरे द्वारा ही किये जाने लगे। वर्ष 2019 में जब बहुत पैसा इकट्ठा हो गया तो हम लोग कम्पनी बन्द कर फरार हो गये और मैं भी छिपता—छुपाता ठिकाने बदलता घूम रहा था। आज मैं अपने निजी काम से किसी से मिलने हापुड चुंगी, गाजियाबाद आया था कि आप लोगों ने पकड लिया।

दिनांक 06.10.2020 को ही उक्त अभियोग के 02 अन्य अभियुक्त 1. सचिन भाटी व पवन भाटी पुत्रगण स्व0 रतन सिंह भाटी, निवासी ग्राम चीती, थाना दनकौर, जनपद गौतमबुद्धनगर को एसटीएफ नोएडा यूनिट द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0सं0 592/19 धारा 420/409/467/468/471/120बी /201 भादवि एंव 58बी आर0बी0आई0एक्ट व 58ए कम्पनी एक्ट हैं, अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना दादरी व ई0ओ0डब्लू0, मेरठ द्वारा की जा रही है।

<u>अभियुक्त करणपाल सिंह का आपराधिक इतिहासः</u>

क0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	340/19	420/409/467/468/471/120बी /201 भादवि एंव 58बी आर0बी0आई0 एक्ट व 58ए कम्पनी एक्ट	दादरी	गौतमबुद्धनगर
2	353/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
3	354/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
4	357/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
5	361/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
6	362/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
7	363/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
8	367/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
9	368/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
10	369/19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर

11	370 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
12	512 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
13	513 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
14	586 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
15	592 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
16	593 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
17	595 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
18	598 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
19	601 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
20	602 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
21	603 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
22	607 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
23	608 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
24	371 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
25	372 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
26	378 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
27	383 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
28	609 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
29	614 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
30	630 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
31	674 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
32	809 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
33	866 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
34	867 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
35	385 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
36	386 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
37	387 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
38	389 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
39	873 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
40	874 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
41	875 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
42	883 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
43	697 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
44	1335 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
45	1336 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
46	410 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
47	411 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
48	422 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
49	432 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
50	440 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
51	505 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
52	507 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
53	508 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
54	509 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
55	510 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर
56	511 / 19	तदैव	दादरी	गौतमबुद्धनगर

एसटीएफःआर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन,मेरठ द्वारा की जा रही मु0अ0सं0—592/19 धारा 420/419/467/468/471/120बी/201 भादवि एवं धारा 58 बी आर0बी0आई0 एक्ट एवं 58 ए कम्पनी एक्ट थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर की विवेचना में वांछित रूपये 50,000/— के ईनामी अभियुक्त सचिन भाटी एवं एक अन्य अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनॉक 06.10.2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0—592/19 धारा 420/419/467/ 468/471/120बी/ 201 भादवि एवं धारा 58 बी आर0बी0आई0 एक्ट एवं 58 ए कम्पनी एक्ट, बाईट बोट केस में वांछित रूपये 50 हजार के ईनामी अभियुक्त सचिन भाटी को एक अन्य अभियुक्त पवन भाटी के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

अभियुक्त का विवरणः—

1— सचिन भाटी पुत्र स्व0 रतन सिंह भाटी नि0 चीती, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।
2— पवन भाटी पुत्र स्व0 रतन सिंह भाटी नि0 चीती, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगीः—

1— एक अदद कार आई—10 नम्बर यूपी—14 सीपी 2045

गिरफ्तार का स्थान, दिनांक व समयः

नंगला नैनसुख गेट के पास, थाना दादरी गौतमबुद्धनगर दिनांक 06.10.2020 समयः 09.50

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेशानुसार **गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स प्रा0लि0 के** विरूद्व थाना थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0—592/19 धारा 420/419/467/ 468/471/ 120बी/ 201 भादवि एवं धारा 58 बी आर0बी0आई0 एक्ट एवं 58 ए कम्पनी एक्ट जिसकी विवेचना आर्थिक अपराध अनुसंघान सेक्टर मेरठ द्वारा की जा रही है के वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी में सहयोग हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देषों के अनुपालन में श्री कुलदीप नारायण, पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, मेरठ के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह, एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर के नेतृत्व में एक टीम द्वारा की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में दिनाक 06—10—2020 को उप निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह, एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर की टीम क्षेत्र में भ्रमणशील थी, कि उसी दौरान विश्वसनीय सूत्रों एवं मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि बाईट बोट के मामले में थाना दादरी गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित वॉछित ईनामी अपराधी अपने गॉव चीती जायेगें। तदोपरान्त इस सूचना को विकसित करने के पश्चात समस्त तथ्यों से आर्थिक अपराध अनुसंघान, सेक्टर मेरठ (ई0ओ0डब्लू) के अधिकारियों/विवेचाधिकारी को अवगत कराते हुए एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर की टीम द्वारा उक्त अभियोग के विवेचनाधिकारी को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये गन्तव्य स्थान पर पहुॅचकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की गई, उसी दौरान जनपद गाजियाबाद की ओर से आती एक सफेद रंग की कार को मुखबिर के इशारे पर रोककर कार में बैठे दो व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम सचिन भाटी पुत्र स्व0 रतन सिंह भाटी तथा दूसरे ने पवन भाटी पुत्र स्व0 रतन सिंह भाटी बताया, तत्पश्चात उपरोक्त दोनो अभियुक्तो को पुलिस हिरासत में ले लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त सचिन भाटी ने बताया कि उसकी उम्र लगभग 35 साल है और वह गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स प्रा0 लि0 में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त सचिन भाटी, थाना दादरी गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए माननीय न्यायालय द्वारा वारण्ट भी जारी किया गया था। इसी अभियोग में इसके सगे भाई संजय भाटी पर रू0 50 हजार का ईनाम घोषित था जो पूर्व में गिरफ्तार हो चुका है। इसका एक अन्य सगा भाई पवन भाटी उपरोक्त भी है, जो बाईट बोट की स्कीम में बेहद सक्रिय था।

गिरफ्तार अभियुक्त सचिन भाटी एवं पवन भाटी को थाना दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर के उपरोक्त अभियोग में दाखिल कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना भोपा

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमन्चा 315 बोर, 06 जीवित ,02 खोखा कारतूस, एक चोरी का दो पहिया वाहन बरामद।**

दिनांक 06.10.2020 को थाना भोपा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ककराला मोड़ पर मोटरसाइकिल सवार बदमाश की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त कपिल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया तथा उसका एक अन्य साथी मौके से भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर ,06 जीवित कारतूस, 02 खोखा कारतूस व एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त कपिल शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना भोपा जनपद मेरठ मुजफ्फरनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0—65/2020 धारा 395/411 भादवि , मु0अ0सं0—319/2020 धारा 302/120बी भादवि तथा थाना दौराला जनपद मेरठ के मु0अ0सं0—378/2020 धारा 302/34 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद मुजफ्फरनगर से 25 हजार रू0 व जनपद मेरठ से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भोपा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कपिल निवासी कस्बा मोरना थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—01 चोरी की मोटरसाइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित कारतूस, 02 खोखा कारतूस ।

जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद

• पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रू0 के 03 पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,

• 03 अवैध तमन्चा 315 बोर, 06 जीवित कारतूस बरामद।

दिनांक 06.10.2020 को थाना सिकन्द्राबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ककोड से सिकन्द्राबाद जाने वाली रोड़ के पास पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1–योगेश ,2–टिंकू , 3–चन्दशेखर उर्फ मूला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 03 अवैध तमंचा 315 बोर ,06 जीवित कारतूस 315 बोर, बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त योगेश, टिन्कू , व चन्द्रशेखर उर्फ मूला शातिर किस्म के अपराधी है,जिनके विरूद्व जनपद बुलन्दशहर थाना सिकन्द्राबाद में आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त थाना सिकन्दाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0–683/2020 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहे थे, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–योगेश निवासी महेपा जहांगीर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

2–टिंकू निवासी महेपा जहांगीर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
3–चन्दशेखर उर्फ मूला निवासी महेपा जहांगीर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

2–03 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस ।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जानगर

• लूट की घटना का अनावरण

• 07 अभियुक्त गिरफ्तार, लूट के लगभग 02 लाख रूपये कीमत के आभूषण,

• 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 07.10.2020 को थाना खुर्जानगर कोतवाली टाण्डा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम भांदवा से 07 अभियुक्तों 1–प्रेम कुमार 2–गिर्राज 3–सुरेन्द्र कुमार 4–किरनपाल 5–सूरज 6–अशोक 7–गीता को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के लगभग 02 लाख रूपये कीमत के आभूषण, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि वादी से खुर्जा बाईपास फ्लाईओवर के पास अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में थाना खुर्जानगर पर मु0अ0सं0 740/2020 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बरामद माल को उक्त घटना से संबंधित होना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना खुर्जानगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रेम कुमार नि0 ग्राम दुवारी कलां थाना गुन्नौर सम्भल।
2–गिर्राज नि0 ग्राम दुवारी कलां थाना गुन्नौर सम्भल।
3–सुरेन्द्र कुमार नि0 ग्राम दुवारी कलां थाना गुन्नौर सम्भल।
4–किरनपाल नि0 ग्राम इन्दौर खेड़ा थाना डिबाई बुलन्दशहर।
5–सूरज नि0 ग्राम रूपबास थाना अनूपशहर बुलन्दशहर।
6–अशोक नि0 ग्राम सोंझना झाया थाना खानपुर बुलन्दशहर।
7–गीता नि0 ग्राम भांदवा थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर।

बरामदगी

1– लूट के लगभग 02 लाख रूपये कीमत के आभूषण।
2–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस।

जनपद शाहजहॉपुर/सेहरामऊ दक्षिण

- **दो शराब तस्कर गिरफ्तार**
- **50 लाख रू0 कीमत की 410 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद**

दिनांक 07.10.2020 को थाना सेहरामऊ दक्षिण पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान चन्दगोई तिराहे के पास से दो अभियुक्तों 1–गुरप्रीत 2–प्रताप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 50 लाख रू0 कीमत की 410 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुयी।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बरामद शराब को गैर प्रांत से लाना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना सेहरामऊ साउथ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–गुरप्रीत नि0 ग्राम सिरालीमांड थाना पट्टी जिला तरनताल पंजाब।

2–प्रताप नि0 ग्राम मुन्डीजमाल थाना फतेहगढ़ पन्ततारे जिला मोग्गा पंजाब।

<u>बरामदगी</u>

1–50 लाख रू0 कीमत की 410 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

<u>जनपद उन्नाव/थाना कोतवाली सदर</u>

- **15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 07.10.2020 को थाना कोतवाली सदर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिन्धूपुर मोड़ से पुरस्कार घोषित अपराधी सौरभ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 584/2020 धारा 394/411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना कोतवाली सदर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सौरभ नि0 मुकुन्द खेड़ा मजरा टीकरगढ़ी थाना कोतवाली उन्नाव।